राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः एफ 12(5) परि/आयो/2006–07 जयपुर, दिनांकः 02/02/09

कार्यालय आदेश 02/09

राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 92 प्रतिशत दुर्घटना चालक की गलती, लापरवाही या यातायात नियमों के प्रति अनभिज्ञता के कारण घटित होती है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यह आवश्यक है कि चालक लाइसेंस जारी करने से पूर्व चालन क्षमता का कड़ा परीक्षण किया जावे। इस कार्य के लिए लगभग सभी जिलों में ड्राइविंग ट्रैक का निर्माण करवाया गया है। जिलों में चालक लाइसेंस लेने के लिए आने वाले अभ्यर्थियों को लर्निंग लाइसेंस जारी करने से पूर्व यातायात नियमों की जानकारी का टैस्ट कम्प्यूटराइज्ड टच स्क्रीन कियोस्क पर आवश्यक रूप से लिया जावे। सभी जिलों में इस प्रकार के कियोस्क उपलब्ध करवाये जा रहे है।

चालकों को स्थायी लाइसेंस जारी करने से पूर्व अभ्यर्थी की चालन क्षमता का परीक्षण अनिवार्य रूप से ड्राइविंग ट्रैक पर लिया जावे। किसी भी व्यक्ति को बिना परीक्षण के चालक लाइसेंस जारी नही किया जावे। चालक द्वारा गंभीर दुर्घटना करने की स्थिति में लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी को भी जिम्मेदार ठहराया जावेगा।

सभी जिलों में निर्मित किये गये ड्राइविंग ट्रैक को सड़क सुरक्षा संस्थान के रूप में विकसित किया जावे। इसका उपयोग कार्यालय समय में ड्राइविंग टैस्ट लेने तथा प्रातः एवं सायंकाल कार्यालय समय के बाद निजी मोटर ड्राइविंग स्कूलो को ड्राइविंग सिखाने के लिए किया जा सकता है। इस कार्य के लिए ड्राइविंग स्कूलों से फीस ली जावेगी, जिसका निर्धारण मुख्यालय द्वारा किया

जावेगा। ड्राइविंग ट्रैक के आस–पास संबंधित संस्थाओं, कार्पोरेट सेक्टर एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के विज्ञापन (निर्धारित राशि एवं मानदण्ड के अनुसार) प्रदर्शित किये जा सकते है। ड्राइविंग स्कूलों एवं विज्ञापनों से प्राप्त राशि का उपयोग ड्राइविंग ट्रैक के संधारण, साज–सज्जा एवं विकसित करने हेतु किया जा सकता है। ड्राइविंग ट्रैक के आस–पास वृक्ष लगाने, बाउंड्रीवाल बनाने एवं गार्ड एवं निरीक्षक के लिए कक्ष बनाने का कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत कराया जा सकता है। इस कार्य के लिए संबंधित जिला कलेक्टर से सम्पर्क किया जावे।

परिवहन आयुक्त एवं
शासन सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह एवं परिवहन विभाग।
3. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
4. समस्त जिला कलेक्टर।
5. समस्त अधिकारी, मुख्यालय।
6. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
7. समस्त अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
8. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।
9. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन)